न्यायालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 65/2014

उनवान
शिवपाल वगै0 बनाम मक्खन वगैरह

प्रार्थना पत्र बाबत् वाद दायरी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी
निर्णय दिनांक 19.10.22

जरिये अपने अधवक्ता प्रार्थी शिवपाल ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रहा है उक्त वाद को राजस्व अभियान न्याय आपके द्वारा में राजस्व कैम्प रामपुरा में माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 1.06.2016 द्वारा अदम तकमील अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया है उक्त प्रकरण वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 लगा0 17 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें प्रतिवादी सं0 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 15, 16, 17 की तामिल हो चुकी है प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री सूरजमल एडवोकेट तथा प्रतिवादी सं0 2, 3, 4, 5, 9, 10, की ओर से श्री रविशंकर अग्रवाल एडवोकेट उपस्थित रहे है तथा प्रतिवादी सं0 6 लगा0 8 का सही नाम न होने की तामिल कुनिन्दा की रिपोर्ट आने पर वादीगण /प्रार्थीगण ने प्रकरण में प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 व आदेश 9 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दायर है जिस पर प्रकरण में सुनवाई होना था इसी कारण प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही नहीं हो सकी प्रार्थीगण/वादीगण प्रकरण में सम्मन तलबान पेश करने को हमेशा तत्पर व तैयार रहे है प्रकरण में वादग्रस्त आराजी में वादीगण/प्रार्थीगण का हित निहित है तथा वादग्रस्त आराजी में अपने खातेदारी हक अधिकार की घोषणा के लिए ही वादीगण/प्रार्थीगण ने प्रस्तुत वाद दायर किया है।उक्त वाद की राजस्व अभियान कैम्प में सुनवाई नियत रही है लेकिन प्रार्थीगण/वादीगण अपने पारिवारिक कारणों के कारण उक्त प्रकरण मे नियत पेशी 01.06.2016 को हाजिर नहीं हो सके जिस पर अदालत श्रीमान ने प्रार्थीगण के प्रस्तुत वाद को अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया है

उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की गैरहाजिरी जान बूझकर नहीं हुई है बल्कि उपरोक्त कारण वश से हो रही है जो कि प्रार्थीगण की गैर हाजिरी का माकूल कारण रहा हैं, तथा प्रार्थीगण सम्मन तलवाना पेश करने को हमेशा तैयार व तत्पर रहे हें इस कारण न्यायहित में उक्त राजस्व वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवाई किया जाना आवश्यक है।

अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण/वादीगण का प्रस्तुत राजस्व वाद सं0 65/2014 उनवानी शिवपाल वगै0 बनाम मक्खनलाल वगै0 दावा घोषणा खातेदारी बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश फरमाया जाकर सुनवाई करने की कृपा करें।

वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर जाहिर किया कि उपरोक्त प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन होना व दिनांक 01.06.2016 को राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार में राजस्व कैम्प शाहपुरा के अदम तकमील व अदम पैरवी में खारिज होना स्वीकार है, तथा शेष वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि प्रकरण में वादीगण ने शेष प्रतिवादीगण की तामिल हेतु बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी तामिल के प्रयास नहीं किये है तथा प्रार्थी/वादीगण को प्रतिवादीगण 6 से 8 के सही नाम पत्ते मालूम होने की शुरू से जानकारी रही है प्रकरण में वादीगण जो कि गलत तथ्यों पर वाद दायर किया है वादीगण किसी हिस्से की घोषणा कराने के अधिकारी नहीं है। अन्त में अप्रार्थी ने जाहिर किया कि प्रकरण में वर्णित तथ्य पेश किये गये है । मान्य न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 01.06.2016 द्वारा वादीगण का वाद अदम तकमील के खारिज किया है जिस पर आदेश 9 नियम–9 सीपीसी के प्रावधान लागु नहीं होते हैं न ही प्रस्तुत वाद को पुनः नम्बर पर ही लिया जा सकता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया । वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर जोर देकर जाहिर किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र नियम विरूद्ध पेश किया गया है । प्रार्थी के द्वारा 45 दिन बाद प्रार्थन पत्र पेश किया गया है जो मियाद बाहर है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी उक्त प्रकरण में लागू नहीं होता चूंकि प्रकरण में न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर अदम तकमील में खारिज किया गया है जिस पर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

लागू नहीं होने से खारिज योगय है। वकील अप्रार्थी ने परिसीमा अधिनियम 1963, पेज नं0 25, सीपीसी अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सपठित धारा 151 सीपीसी पेज नं0 64, एआईआर 1986 आन्ध्रप्रदेश पेज नं0 270 की नजीरे पेश की ।

हमने वकील उभय पक्ष की बहस व पेश की गई नजीरों तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । मूल वाद प्रकरण दिनांक 1.6.2016 को राजस्व लोक उदालत कैम्प रामपुरा में 2 वर्ष की कालावधि में कोई तलबाना पेश नहीं किये जाने पर प्रकरण को अदम तकमील , अदम पैरवी में खारिज किया गया है । हम वकील अप्रार्थी इस तथ्य से सहमत है कि प्रार्थी के द्वारा न्यायालय आदेश दिनांक 1.6.2016 से 45 दिन बाद यह प्रार्थन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी पेश किया गया है जो मियाद बाहर है तथा प्रकरण में न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने पर अदम तकमील में खारिज किया गया है जिस पर अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी लागू नहीं होकर अपीलीय प्रकरण बनता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 19.10.2022 को सरै इजलास सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान